

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता  
अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर,  
सहारनपुर।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक : /अखपूयनस/निविदा-07/

दिनांक: 2018

विषय : आनलाईन निविदा सूचना संख्या-07/ई0ई0/2017-18 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आनलाईन निविदा सूचना संख्या 07/ई0ई0/2017-18 की 7-7 प्रतियाँ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि कृपया उक्त निविदा सूचना को निम्न समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित कर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें।

SL. No.	Name of News Paper	Place of Publication	No. of Insertion
1	Dainik Jagran Hindi	Saharanpur	01
2	Amar Ujala Hindi	Saharanpur	01
3	Times of India	Lucknow	01

संलग्नक :- निविदा सूचना की 7 प्रतियाँ एवं सी0डी0।

अधिकासी अभियन्ता  
अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर,  
सहारनपुर।

पत्रांक :- /अखपूयनस/निविदा-07/तदिनांक :

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त निविदा सूचना की हार्ड कापी एवं सी0डी0 सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट (<http://upgov.nic.in>) तथा उ0प्र0 सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://irrigation.up.nic.in>) पर अपलोड करने की कृपा करे।

संलग्नक'- उपरोक्तानुसार

अधिकासी अभियन्ता  
अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर,  
सहारनपुर।

**पत्रांक :- (2) /अखपूयनस/निविदा-07/तदिनाँक :**

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, ओखला, नई दिल्ली।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सहारनपुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामिली।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, यमुना लिंक चैनल निर्माण खण्ड, सहारनपुर।
- 6- समस्त सहायक अभियन्ता, अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर।

**संलग्नक :-** एक प्रति बिड सूचना।

**अधिशासी अभियन्ता  
अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर,  
सहारनपुर।**

**पत्रांक :- (3) /अखपूयनस/निविदा-07/तदिनाँक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
- 2- जिलाधिकारी, सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया दिनाँक 24.01.2018 को इसकार्यालय में सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को आदेशित करने का कष्ट करें।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर।
- 5- नोटिस बोर्ड।

**अधिशासी अभियन्ता  
अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर,  
सहारनपुर।**

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर**

**ऑनलाईन अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 07/ई0ई0/2017-18**

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदाये (<http://etender.up.nic.in>) के माध्यम से सिंचाई विभाग मे सिविल कार्यो हेतु वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से दिनांक 23.01.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। जो दिनांक 24.01.2018 को पूर्वान्ह 12:00 बजे मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सहारनपुर में खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में निविदाये अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी।

निविदाये दिनांक 17.01.2018 की पूर्वान्ह 12:00 बजे से दिनांक 23.01.2018 की अपरान्ह 3:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती। एक या समस्त निविदाओ को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

क्र0 सं0 / लॉट सं0	निविदा आमंत्रण हेतु कार्य	कार्यो की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर राशि (लाख रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र + स्टेशनरी का मूल्य + जी0एस0टी0	पंजीकृत श्रेणी	कार्य से सम्बन्धित अधिकारी का पता
1	जनपद शामली में काठा नाला के माध्यम से सिंचाई हेतु रा0 हगांवली के कि0मी0 15.900 से 19.000 तक बैंको की पुर्नस्थापना का कार्य।	22.00	2.20	45 दिवस	300+500+144 =Rs 944.00	“बी” अथवा उससे ऊपर	सहायक अभियन्ता-तृतीय, अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर।

**विशेष:-** उपरोक्त कार्यो की निविदाये धनावंटन की प्रत्याशा में आमन्त्रित की जा रही है। धनावंटन कम प्राप्त होने पर अथवा प्राप्त न होने की दशा में निविदाये निरस्त की जा सकती है एवं धन प्राप्त होने पर उपलब्ध धन से तत्समय कार्य की महत्ता के अनुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

शर्ते:-

- (1-) ज्वाईंट वेचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (2-) निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या-622/23.12.2012-2 आडिट/08टीसी-2, दिनांक 8.6.2012 के अनुसार “10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरें (Below Rates) डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों (Below Rates) पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर प्रफॉरमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- (3-) यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट (<http://upgovt.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट (<http://www.irrigation.up.in>, <http://www.idup.upgovt.in>) से डाउनलोड की जा सकती है।
- (4-) निविदादाता द्वारा वेबसाइट (<http://etender.up.nic.in>) पर आनलाईन निविदा दिनांक 17.01.2018 को पूर्वान्ह 12:00 बजे से दिनांक 23.01.2018 की अपरान्ह 03:00 बजे तक डाऊनलोड व अपलोड की जा सकेगी।
- (5-) ऑनलाईन निविदा में निम्न प्रमाण पत्र तथा अन्य डॉक्यूमेंट की स्केण्ड प्रति अपलोड करनी होगी अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
  - A सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र।
  - B जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0-1)।
  - C हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0-2)।

- D स्वघोषणा शपथ पत्र (आई0डी0टी0-3), जो निविदा पत्र जारी होने की तिथि के पश्चात् जारी किया गया हो।
- E निविदादाता/बिडर को पिछले 03 वित्तीय वर्षों में से किसी 01 वित्तीय वर्ष का वार्षिक टन ओवर निविदा लागत के 50 प्रतिशत की अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट उपलब्ध करानी होगी।
- F निविदादाता/बिडर को पिछले वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में निविदा के 50 प्रतिशत सामान प्रकृति के कार्य का, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- G निविदादाता द्वारा रू0 100.00 का नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र में यह प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि वह मशीनों द्वारा कार्य कराये जाने में सक्षम है एवं वह अपने खुद की मशीन अथवा किराये पर ली गयी मशीनों द्वारा कार्य करायेगा।
- H निविदादाता द्वारा स्वयं के पंजीकरण श्रेणी के अनुरूप कार्यरत तकनीकी कर्मचारी की शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
- I विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की सत्यापित फोटो प्रति।
- J प्रत्येक निविदादाता को रू0 100.00 के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर अनुबंध लिखना होगा, की दरे 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा ऑफर वापिस लेने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- K निविदादाता को G.S.T पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- L धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अन्य प्रतिभूति के रूप में निर्धारित धरोहर धनराशि **अधिशासी अभियन्ता, अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर** के पक्ष में बंधक होनी चाहिये।
- M निविदा में निर्धारित निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ स्कैण्ड करना होगा, जो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में देय होगा एवं दिनांक **22.01.2018** को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक मूल रूप में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में उसकी निविदा **Unresponsive** मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- N श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- (6-) शासनादेश संख्या-52/1439/17-27-सिं0-03-07 विविध/17 दिनांक 09.10.2017 के क्रम में ई-टेंडरिंग के समय निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों की स्कैण्ड कॉपी व प्रतिभूति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के नाम बंधक कराने पर प्राप्त ट्रांजक्शन नं0 को भी निविदा के समय वेबसाईट पर डाली जायेगी तथा निविदा स्वीकार होने पर मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग को निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। **निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूति धनराशि मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध वाद दायर करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।**
- (7-) निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।
- (8-) बीजक से नियमानुसार जी0एस0टी0, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी, लेबर सैस, प्रचलित टैक्स कर कटौती की जायेगी।
- (9-) कार्य स्थल पर आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटायी/बढायी जा सकती है। जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- (10-) निविदादाता को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तिथियों तथा समयावधि/स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी। कोई भी जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- (11-) निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (12-) इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- (13-) यह संज्ञान में आने पर किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से एवं निविदा डालने से रोका गया हों या धमकी दी गयी हो, तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबंध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

- (14—) कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- (15—) राज्य बार कौन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले जा सकेगा।
- (16—) एक निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा डाल सकेगा।
- (17—) यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबंध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर किसी भी प्रकार का दबाव/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
- (18—) विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय/स्थान/निविदा से सम्बन्धित अन्य किसी शर्त/विशिष्टियों में यदि कोई कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से/ऑनलाईन उपलब्ध करा दी जायेगी। ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि निविदा डालने से पूर्व ऑनलाईन/नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस का संज्ञान अवश्य ले लें।
- (19—) प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने आई0डी0टी0-1, आई0डी0टी0-2, आई0डी0टी0-3, तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण पत्र ठीक-ठीक उपलब्ध कराये है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।
- (20—) सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के वर्तमान में प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप की जायेगी।
- (21—) अनुबंध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
- (22—) अनुबंध के समय निविदादाता को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अनुबंध को सबलेट नहीं किया जायेगा।
- (23—) फाईनेशियल बिड खोलने की तिथि एवं समय वेबसाईट पर डाल दी जायेगी एवं उसी के अनुसार फाईनेशियल बिड ऑनलाईन खोली जायेगी।
- (24—) ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर ले एवं कार्य हेतु आवश्यक निर्माण सामग्री की उपलब्धता का भली-भांति आंकलन कर लें।
- (25—) प्रस्तावित कार्यस्थल पर Engineer-in-charge के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
- (26—) Technical evaluation will be done by tender committee, comparative chart would be prepare and award of contract will be available as per financial sanction.
- (27—) सशर्त निविदायें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- (28—) उक्त निविदाएँ आमंत्रित कर अनुबंध गठन की कार्यवाही धन की उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।

**अधिशाली अभियन्ता**  
**अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर,**  
**सहारनपुर।**